

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आजा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 280 /2020

दिनांक 24.01.2020

श्री गजेन्द्र पाल मोघा (RJ0277), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या-02, भरतपुर को दिनांक 01.02.2020 से 20.02.2020 तक 20 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 21.02.2020 से 23.02.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री मोघा की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या-01, भरतपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या -02, भरतपुर के पद पर ही होने की संभावना है ।


आजा से

23.1.2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/106/1996/ 509

दिनांक 24.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या-02, भरतपुर को पत्रांक 33 दिनांक 20.12.2019 के संदर्भ में ।
3. श्री गजेन्द्र पाल मोघा (RJ0277), विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या-02, भरतपुर ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, संख्या-01, भरतपुर ।


24.1.2020
सहायक रजिस्ट्रार